कार्यालय :— वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, रांची।
वन भवन, ब्लॉक 'बी', डोरण्डा, रॉची—834002
ई—मेलः— cf-ranchi@ gov.in फोन0:—(0651)—2481814 मो0:—8987790111

पत्रांकः— 176 दिनांकः— 24/02/2026

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राँची रीजन, राँची।

विषयः— **Proposal for seeking Ex-post facto approval of the Central Government under Section 2 (1) (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 for Diversion of 126.974 (revised) (earlier proposed area: 163.5868 ha.) forest land in favour of M/S Jharkhand Urja Sancharan Nigam Limited (JUSNL) for construction of 400 KV D/C Patratu-Latehar Transmission line under Latehar, Ramgarh and Ranchi Forest Divisions in Latehar, Ramgarh and Ranchi districts of Jharkhand State (FP/JH/TRANS/32955/2018).**

प्रसंगः— क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का पत्रांक/दिनांक—12.01.2026, प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक—38 दिनांक—22.01.2026 एवं भवदीय ज्ञापांक 208 दिनांक 18.02.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक् प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयक प्रस्ताव के ऑनलाईन आवेदन में पाई गई त्रुटियों का बिन्दुवार प्रतिवेदन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची ने उनके पत्रांक—611 दिनांक—19.02.2026 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा समर्पित किया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :—

क्र0 सं0	त्रुटि	निराकरण
1.	The instant proposal is for more than 100 Ha. Accordingly, the State Government is requested to submit the Site Inspection Report of the Nodal Officer as per the provisions of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1880.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि इसका अनुपालन प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह— कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के स्तर से किया जाना है।
2.	As per the Para 10.4 of the Chapter-10 issued under the consolidated Handbook of Guidelines and clarifications	इसका अनुपालन करते हुए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जंगल—झाड़ी अनापत्ति प्रमाण पत्र परिवेश पोर्टल 1.0 पर अतिरिक्त कागजात/अभिलेख के

	Evam Samvardhan) Rules-2023, it needs clarification whether the user agency has obtained NOC from various linear forest land owned agency. The copies of the same shall be submitted.	
3.	Detailed violation report and the action taken by the State Forest Department to stop the work in the forest land needs submission. Further, the State Govt. shall submit the present status of court case/action taken against the Govt. Official under 3A & 3B of Van Adhiniyam, 1980 indicating details chronology of the events for allowing use of forest land without permission.	राँची वन प्रमण्डल, राँची द्वारा इस प्रस्ताव के मामले में जो वन वाद दर्ज है वह संलग्न की जा रही है। स्थल पर वन भूमि में कार्य पर तत्काल रोक लगी हुई है। प्रयोक्ता अभिकरण पावर ग्रिड ने अपने पत्रांक–133 दिनांक– 01.09.2025 से उन कार्यरत पदाधिकारियों का विवरण दिया था उनपर वन वाद दर्ज कर दिया गया है। वन (संरक्षण एवं सम्वर्धन) अधिनियम 1980 की धारा 3A एवं 3B सहपठित में ["Provided that nothing contained in this sub-section shall render the head of the department or any person referred to in clause (b), liable to any punishment if the proves that the offence was committed whithout his knowledge or that exercised all due diligence to prevent the commission of such offence."] विदित हो कि श्री एस0 के शशि, उप महाप्रबंधक, जे0सी0पी0 पावर ग्रिड, राँची ने अपने पत्रांक–133 दिनांक–01.09.2025 उन्होंने कहा है कि उपरोक्त उल्लंघन वर्षों पूर्व (मई 2016 के बाद) मुख्य कार्यकारी एजेन्सी के0ई0सी0 द्वारा भूलवश कर दिया गया था जिस हेतु पावर ग्रिड द्वारा उक्त एजेन्सी को चेतावनी भी दी गई है। चेतावनियों की प्रतियाँ संलग्न है जिससे स्पष्ट है कि सरकारी पदाधिकारी ने due diligence का उपयोग किया था। अतः यह प्रावधान लागू करने की आवश्यकता नहीं है। (अनुलग्नक–1 एवं 2)

<table>
<tr><td>4.</td><td>The DFO, Ranchi in their Part-II reported that the forest area under Violation as 0.25 ha. and period of violation mentioned as 9.5 years and further informed that the वनपाल/वनरक्षी दवारा माह अगस्त 2025 में ही वन वाद दर्ज किया गया है। Therefore, the reason behind such delayed action on the violation needs justification.</td><td>इस संबंध में सूचित करना है कि वनों की सुरक्षा एवं सम्वर्धन कार्य Front line forest staff viz. forestguard एवं forester अपने बीट/सब–बीट मे करते है. जो कि उनका दायित्व है।

प्रयोक्ता अभिकरण मेसर्स पावर ग्रिड के उप महाप्रबंधक द्वारा वर्ष–2014 से 2018 के मध्य यह टावर निर्माण प्रारंभ कराया गया था। 2017 के सितम्बर में नवनियुक्त वनरक्षी. वन प्रमण्डल मे योगदान देना प्रारंभ किये थे।

उनके पूर्व वनरक्षी की संख्या निम्नवत थी–

<table><tr><th>पद</th><th>स्वीकृत बल</th><th>कार्यरत बल</th><th>रिक्त</th></tr><tr><td>वन क्षेत्र पदाधिकारी</td><td>7</td><td>6</td><td>1</td></tr><tr><td>वनपाल</td><td>23</td><td>18</td><td>5</td></tr><tr><td>वनरक्षी</td><td>147</td><td>10</td><td>137</td></tr></table>
ऐसी स्थिति से स्पष्ट है कि अनेको प्रभार रहने के कारणवश एवं वन भूमि तथा राजस्व भूमि के बीच नगण्य सीमांकन के फलस्वरूप सरजमीन पर ठोस रूप से इन कार्यो को प्रारंभ होने के पूर्व शत–प्रतिशत रोक पाना अत्यन्त विषमपूर्ण कार्य रहा है।

जो वन वाद प्रयोक्ता अभिकरण के विरूद्ध दर्ज किया गया है वह आपको पूर्व में ही सूचित है तथा प्रस्ताव में अंकित किया जा चुका है।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>The DFO, Latehar Forest Division in part-II of the proposal reported that the presence of rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. However, the details in this regard has not mentioned in the proposal. This needs justification.</td><td>राँची वन प्रमण्डल, राँची से संबंधित नहीं है।</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>The recommendation of CF, Daltonganj Circle has not been found uploaded on PARIVESH. The State Government shall upload the recommendation of CF, Daltonganj Circle on</td><td>राँची वन प्रमण्डल, राँची से संबंधित नहीं है।</td></tr>
</table>

	PARIVESH.	
7.	(i) The KML file of Forest land proposed for diversion is found 123.63 ha. instead of 126.974 ha. as per the proposal. Therefore, correct KML file of the proposed forest land shall be uploaded.	इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संशोधित KML file पार्ट–1 में अपलोड कर दिया गया है।
	(ii) It is observed that in the Ramgarh Forest Division, total 29.41 ha. degraded forest land have been proposed for CA but the KML file has been uploaded for an area of 13.39 ha. Therefore, complete KML file of the proposed CA land under Ramgarh Forest Division shall be uploaded on PARIVESH.	राँची वन प्रमण्डल, राँची से संबंधित नहीं है।
	(iii) As per the DSS analysis, the proposed CA land is having encroachment of Agriculture land and in one CA patch, the plantation work is already visible. The State shall offer their comments in this regard.	राँची वन प्रमण्डल, राँची अंतर्गत प्रस्तावित क्षतिपूरक वनरोपण भूमि में किसी प्रकार का अतिक्रमण एवं कृषि योग्य भूमि नहीं है।

अनु0– (1) पावर ग्रिड, राँची का पत्रांक–189 दिनांक–03.02.2026

(2) पावर ग्रिड, राँची का पत्रांक–133 दिनांक–01.09.2025

(3) राँची वन प्रमण्डल, राँची द्वारा दायर किए गए वनवाद की प्रतियाँ।

(4) राँची वन प्रमण्डल, राँची अंतर्गत स्वीकृत, धारित एवं रिक्ती से संबंधित प्रतिवेदन ज्ञापांक–423 दिनांक–02.02.2017

आपका विश्वासी,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, राँची।